



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 24, 2006/भाद्र 2, 1928

No. 389]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2006/BHADRA 2, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 501(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियत बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची के स्तंभ (1) में "गोवा" से संबंधित क्रम सं. 25 के सामने स्तंभ (3) में "50" अंक के स्थान पर "75" अंक रखा जाएगा ।

[फा. सं. 5(271)/2001-एन.सी.]

आर. एम. शर्मा, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003 और सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2006

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule, in column (1), against serial number 25 relating to "Goa", in column (3), for the figure "50", the figure "75" shall be substituted.

[F. No. 5(271)/2001-NC]

R. M. SHARMA, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E), dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001 and G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E), dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E), dated the 9th June, 2003 and G.S.R. 296(E), dated the 19th May, 2006.